संख्या–BSDM/SDI-25/2016- 958
बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

प्रेषक,

दीपक कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव–
सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

सेवा में,

सभी SDC समन्वयक/SDC स्वामी,
बिहार ।

पटना, दिनांक– 23/11/2017

विषयः– कुशल युवा कार्यक्रम का अतिरिक्त बैच प्रारंभ करने के संबंध में ।

प्रसंगः– बिहार कौशल विकास मिशन का पत्र संख्या–BSDM/SDI-25/2016-320 दिनांक–16.05.2017 ।

महाशय/ महाशया,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या– BSDM/SDI-25/2016-320 दिनांक–16.05.2017 का संदर्भ करने की कृपा की जाये, जिसके द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम का अतिरिक्त बैच प्रारंभ किये जाने हेतु आपको सूचना भेजी गयी थी । पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि वैसे केन्द्र जिनका क्लास रुम तथा लैब अलग–अलग अनुमोदित है, वे 40 प्रशिक्षणार्थियों का एक अतिरिक्त बैच प्रारंभ कर सकते हैं । पत्र में यह भी उल्लेखित था कि वैसे केन्द्र जिनका क्लास रुम तथा लैब अलग नहीं हैं, वे अधिकतम 20 प्रशिक्षणार्थियों का एक अतिरिक्त बैच प्रारंभ कर सकते हैं ।

2.राज्य सरकार के द्वारा सभी तकनीकी शिक्षण संस्थानों यथा ANM/GNM Schools/ITIs/Polytechnics/Para Medical Institutes/Engineering Colleges में अध्ययनरत छात्रों को कुशल युवा का प्रशिक्षण दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

3.ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को कुशल युवा कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु DRCC के पोर्टल पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु वे संस्थान के प्रधान से प्राप्त संस्थान में अध्ययनरत होने के वैध प्रमाण पत्र (प्रपत्र अनु0 1 में संलग्न) के साथ सीधे कौशल प्रशिक्षण केन्द्र पर अपना नामांकन करा सकते हैं ।

4.चूँकि इन संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को संध्या में कोर्स करना सुविधाजनक रहेगा इसलिये संध्याकालीन बैच को 4 घंटे के स्थान पर दो घंटे प्रत्येक के बैच में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है ।

5.कुशल युवा कार्यक्रम के 4(चार)घंटे तथा 2(दो)घंटे के बैच में एकरुपता बनी रहे, यह निम्न तालिका में स्पष्ट किया जाता हैः–

1. वैसे केन्द्र जिनका क्लास रूम तथा लैब अलग-अलग है :-

Shift	Duration	Shift time	No. of Candidates in each Group	No. of parallel groups allowed	Total number of candidates in shift.
Shift 1	4 Hours	8 am to 12 noon	20	2	40
Shift 2	4 Hours	12 noon to 4 pm	20	2	40
Shift 3	2 Hours	4 pm to 6pm	20	2	40
Shift 4	2 Hours	6 pm to 8pm	20	2	40

2. वैसे केन्द्र जिनका क्लास रूम तथा लैब अलग नहीं है :-

Shift	Duration	Shift time	No. of Candidates in each Group	No. of parallel groups allowed	Total number of candidates in shift.
Shift 1	4 Hours	8 am to 12 noon	20	1	20
Shift 2	4 Hours	12 noon to 4 pm	20	1	20
Shift 3	2 Hours	4 pm to 6pm	20	1	20
Shift 4	2 Hours	6 pm to 8pm	20	1	20

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि वैसे केन्द्र जिनका क्लास रूम तथा लैब अलग-अलग है, उनके नामांकन की कुल क्षमता 160 तथा जिनका क्लास रूम तथा लैब अलग नहीं है, उनके नामांकन की अधिकतम क्षमता 80 की होगी ।

6.सभी केन्द्रों के नामांकन की क्षमता बढ़ाने तथा 2(दो) घंटे के तृतीय एवं चतुर्थ पाली का प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने हेतु सभी केन्द्रों पर माह जनवरी,2018 से प्रारंभ होने वाले बैच के लिए तृतीय पाली के नामांकन को तबतक के लिए अवरुद्ध किया जाता है, जबतक 2(दो) घंटे का प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ नहीं हो जाता है ।

7.स्पष्ट है कि माह जनवरी के बैच से अलग क्लास रूम एवं लैब वाले प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता 80 तथा जिनका क्लास रूम एवं लैब अलग नहीं है, उनके नामांकन की क्षमता 40 की निर्धारित की जाती है ।

8.2(दो) घंटे का प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ किये जाने तथा इसके लिए नामांकन की तिथि की सूचना बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा सभी केन्द्रों को अलग से दी जायेगी, तबतक तृतीय सत्र का नामांकन 01 जनवरी, 2018 से प्रारंभ होने वाले बैच के लिए स्थगित रहेगा ।

9. DRCC पर पंजीकृत युवाओं को 4(चार) घंटे या 2(दो) घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करने का विकल्प खुला रहेगा । यदि DRCC पर पंजीकृत छात्र भी प्रत्येक दिन 2(दो) घंटे का कुशल युवा का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहेंगे तो उनका नामांकन तृतीय एवं चतुर्थ पाली के लिए होगा, लेकिन छात्राओं के लिए चतुर्थ पाली में नामांकन की सुविधा नहीं रहेगी । तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं के लिए इस पाली में नामांकन की सुविधा उपलब्ध रहेगी ।

10.तकनीकी शिक्षण संस्थान के छात्रों को कुशल युवा का प्रशिक्षण प्राप्त किये जाने हेतु DRCC के पोर्टल पर पंजीयन आवश्यक नहीं होगा, लेकिन उन्हें अपने संस्थान के प्रधान से संस्थान का नियमित छात्र होने का वैध प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा ।

11.तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को भी Security deposit के रूप में 1000/– की राशि जमा करना आवश्यक होगा तथा इनके प्रशिक्षण के लिए भी समान दर से राशि का भुगतान संबंधित कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा किया जायेगा ।

12.वैसे छात्र जिनके द्वारा 2(दो) घंटे के प्रशिक्षण सत्र के लिए नामांकन कराया जायेगा, उन्हें प्रशिक्षण के बीच में 4(चार) घंटे के प्रशिक्षण सत्र में परिवर्तित होने की छूट नहीं होगी । इसी प्रकार 4(चार) घंटे के प्रशिक्षण के लिए नामांकित छात्रों को 2(दो) घंटे के प्रशिक्षण सत्र में परिवर्तित होने की स्वतंत्रता नहीं होगी ।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा निर्देश का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए माह जनवरी के बैच से तृतीय एवं चतुर्थ पाली में प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को स्थगित रखने का कष्ट करें । 2(दो) घंटे के प्रशिक्षण प्रारंभ किये जाने की सूचना तथा तिथि आपको अलग से उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके पश्चात तृतीय एवं चतुर्थ सत्र में नामांकन का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा ।

विश्वासभाजन,

23/11/17

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

Annexure 1

BONAFIDE CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms. ______________________ ______________
________________________________ ____________ ____________ ___________
_______________________________________ ___________ _______ (Name and Residential Address), son/daughter/wife of Mr/Ms. __________ ______________ ____________
_____________________ is a bonafide student of this Department/ College/ Institution pursuing the course ______________ ________________ ________________ with Roll No. __________ in _____ year/ semester of thecourse during the academic year ___________.

This certificate is issued with reference to his/her participation in (Name of the programme with year*) ____.

Place:

Date:

Signature of Head of the Institution/ Authorised Signatory:

Name

Designation

Institution Name

Institution Seal

Note: Bonafide Certificate to be issued (preferably) on the letter pad of the institution